न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारीः— श्वेता चौहान (आई.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः— 05 / 2025

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
पुष्पा देवी पत्नि श्री गजानन्द बिस्सा, निवासी लोर्डिया हाल निवासी वेद भवन के पास, फलौदी तहसील फलौदी, जिला फलौदी		1. सुरेश कुमार बिस्सा पुत्र श्री गोपीलाल बिस्सा जाति ब्राह्मण लोर्डिया तहसील फलौदी, जिला फलौदी 2. सरपंच ग्राम पंचायत लोर्डिया पंचायत समिति फलौदी 3. ग्राम विकास अधिकारी / सचिव ग्राम पंचायत लोर्डिया, पंचायत समिति फलौदी, जिला फलौदी।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत लोर्डिया बुक सं.70 पट्टा संख्या 33 दिनांक 25.11.2021 जारी दिनांक 25.11.2021 जारी किया गया।

उपस्थित वकील :—

प्रार्थी की ओर से— अधिवक्ता श्री गजेन्द्र छंगाणी एवं अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर सेः— अधिवक्ता श्री ललित जोशी।

निर्णय

दिनांकः— 23/12/2025

1. निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 प्रार्थीया पुष्पा देवी की ओर से अप्रार्थीगण संख्या 01 के पक्ष में जारी बुक संख्या 70 , पट्टा संख्या 33 दिनांक 25.11.2021 के विरूद्व पेश की है।

2. अपील का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पूर्वजों / परिवार के नाम से एक पटटा जोधपुर दरबार द्वारा पट्टा संख्या नं. ए / 809, मिसल नं 587 / 24—25 दिनांक 16 / 3 / 1925 को जारी किया गया जिसका कुल नाप 929 वर्गगज साढे ग्यारह आना है। उक्त पट्टा शिवकरण वगैरा के नाम से जारी किया हुवा था। प्रार्थीया शिवकरण के पौत्र गजानन्द की पुत्र वधु है। शिवकरण का देहान्त होने पर ससुर गुंसाईलाला व पित गजानन्द का देहान्त होने से प्रार्थीया का जोधपुर दरबार द्वारा जारी पट्टे में हक व हिस्सा निहित होने से संयुक्त जायगा की भूमि में हक व हिस्सा है। पट्टा संख्या 587 / 2024—25 पट्टा ए / 89 जारी दिनांक 16 / 03 / 1925 में से सहहिस्सेदार ओमप्रकाश व गवरादेवी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 23.10.2024 को एक विक्रय विलेख निष्पादित किया जिससे साफ जाहिर है कि पट्टा संख्या 587 / 2024—25 वट्टा ए / 809 जारी दिनांक 16.03.1925 प्रभाव में है जिसका बंटवाडा नहीं हो रखा है। अप्रार्थी संख्या 01 ने ग्राम पंचायत लोर्डिया से मिलकर उपरोक्त पट्टे की भूमि पर एक नवीन पट्टा संख्या 33 बुक संख्या 70 दिनांक 25.11.2021 को जारी करवाया। जो विधि विरूद्व होने पर पट्टे की प्रति प्राप्त कर निरस्त करवाने हेतु निगरानी याचिका आपके क्षेत्राधिकार में होने से प्रार्थी ने निगरानी याचिका न्यायालय में पेश की है।

जिला कलक्टर
फलौदी

3. राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत पेश की गई जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण को भेजे गये सम्मन की डाक रसीदे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री ललित जोशी ने वकालातनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल मिसल किया गया। ग्राम विकास अधिकारी, लोर्डिया से मूल रेकर्ड तलब करने हेतु तहरीर जारी की गई। जो ग्राम विकास अधिकारी, लोर्डिया द्वारा मूल रेकर्ड पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात निगरानी याचिका को बहस में रखा गया।

4. अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत लोर्डिया में अप्रार्थी द्वारा कोई आवेदन पत्र नहीं दिया था न ही आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क रूपये 25/– की रसीद कटवाई थी न ही राशि का उल्लेख ग्राम पंचायत द्वारा मिसल में है न ही स्थल निरीक्षण की राशि रूपये 25/– जमा करवाये न ही नक्शा के रूपये 25/– जमा करवाये मिसल की कार्यवाही ग्राम सेवक ने अप्रार्थी संख्या 01 से मिलकर पीछे की तारीख में की है। दिनांक 05.05.2021 को स्थल निरीक्षण के लिये वार्ड पंचों की कमेटी गठित करना बताया है परन्तु स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर न तो ग्राम सेवक के हस्ताक्षर है एवं न ही वार्ड पंचों के हस्ताक्षर है। स्थल निरीक्षण कमेटी में ग्राम सेवक स्थाई सदस्य होता है जो कि इस कमेटी का सदस्य नहीं है कमेटी ग्राम सेवक के अभाव में विधिसम्मत नहीं है। कमेटी के द्वारा स्थल निरीक्षण में भी पुश्तैनी भवन निर्माण कितने भाग पर किया हुवा है का उल्लेख नहीं है, न ही नक्शा बनाया है, भूखण्ड खाल है या निर्माण सहित का भी स्पष्ट उल्लेख नही होने से अप्रार्थी के पक्ष में जारी नियम 157 (1) के तहत पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। मिसल संख्या 01/2021 की दिनांक 20.08.2025 को नियम 148 (1) प्रपत्र 22 में आपत्ति आमंत्रित करने के लिये एक माह की अवधि तय की है एवं दिनांक 20.08.2021 को ही नोटिस जारी करना बताया है एवं ग्राम पंचायत द्वारा मिसल के अनुसार 05.09.2021 को आपत्ति नहीं आने के आधार पर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया है जो कि नोटिस की अवधि से पूर्व है। पट्टा विधि विरूद्व तरीके से पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर नियम 157(1) राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत आवासीय भूमि का पट्टा जारी हुवा है जबकि उक्त भूमि की रजिस्ट्री अप्रार्थी ने दिनांक 23.10.2024 को करवाते वक्त भूखण्ड खाली बताया है जिससे साफ जाहिर है कि पूर्व में जारी पट्टासूद भूखण्ड खाली था जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 न निगरानीधीन पट्टा जारी करवाया है। ग्राम पंचायत को खाली आबादी की जमीन में भूखण्ड बैचने का अधिकारी है पूर्व में जारी पट्टासूद भूखण्ड पर नया पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है इसलिए पट्टा खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

5. अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 ने बहस में बताया कि निगरानी याचिका मे वर्णित कथन सरासर गलत एवं मिथ्या है कि ग्राम लोर्डिया द्वारा जारी किया गया पट्टा विधि व नियमों की पालना करते हुए जारी किया हुआ है। पट्टा में ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत अप्रार्थी

जिला कलक्टर
फलोदी

द्वारा आवेदन किया था। आवेदक दिये जाने पर ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर में दिनांक 20.07.2021 में मिसल संख्या 01/2021 में उल्लेख किया गया है। उक्त भूखण्ड की मौके मुवायना हेतु तीन सदस्यों की टीम गठित का गठन तैयार कर नक्शा रिपोर्ट तैयार की गई। ग्राम पंचायत की दिनांक 20.10.2021 को उक्त भूखण्ड का नियम 157 (1) के तहत प्रारूप 23(क) में आपत्ति आंमत्रित की गई। ग्राम पंचायत को पट्टा जारी नही किये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 20.11.2021 को सर्वसहमति से पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रार्थी द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर निगरानी याचिका पेश की गई है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त पट्टासूद भूखण्ड रजिस्टर्ड सुदा है। यदि प्रार्थी को उक्त पट्टा को लेकर कोई निगरानी याचिका/दावा लगाना है तो सिविल न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। रजिस्टर्ड पट्टा से सम्बन्धित दावा/निगरानी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज योग्य होने से खारिज की जावे।

6. प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस घेवरचन्द व अन्या बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 11.08.2017, RLW 2010 (4) प्रेमचंद बनाम राजस्थान सरकार पेज 3575, RRT 2020(1) पेज 563 खुशाल सिंह बनाम राजस्थान सरकार न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 के अभिभाषक ने Citaion : 2013(4)RLW 3341 (Raj) नगरपालिका पाली बनाम राजस्थान सरकार व अन्य का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया । जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

7. उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस एवं दौराने बहस प्रस्तुत दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव ग्राम विकास अधिकारी लोर्डिया के द्वारा पट्टा के सम्बध में शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तर्को पर विचार मनन किया गया।

8. प्रकरण में ग्राम पंचायत लोहावट लोर्डिया के अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादित भूखण्ड विक्रय का निर्णय ग्राम लोर्डिया द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 157(1) के तहत पुराने गृह के नियमतिकरण नियम के तहत किया गया है। उक्त नियम के तहत ग्राम पंचायत द्वारा जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है एवं पटटा जारी किये जाने के इच्छुक है, वहां 300 वर्गगज के क्षेत्रफल का नियमितिकरण निर्धारित राशि जमा कराई जाकर किये जाने का प्रावधान है। प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के आधार के रूप में प्रस्तुत किये गये है।

9. निगरानीकर्ता का निगरानी का प्रस्तुत एक आधार यह है कि विवादित भूखण्ड का पटटा निगरानी कर्ता के परिवार को जोधपुर गर्वमेन्ट द्वारा पटटा संख्या ए/809 मिसल नं. 587/24–25 दिनांक 16 मार्च 1925 को शिवकरण वगैरा के नाम से था। प्रार्थीया शिवकरण के पौत्र गजानन्द की पुत्रवधू है। शिवकरण का देहान्त हो गया है तथा ससुर गुंसाईलाल व पति गजानन्द का देहान्त होने से प्रार्थीया का जोधपुर दरबार द्वारा जारी पट्टे में हक व हिस्सा निहित होने से संयुक्त जायगा की भूमि में हक व हिस्सा है। स्टेट के द्वारा जारी पट्टा संख्या 587/2024–25 पट्टा ए/809 जारी दिनांक 16 मार्च 1925 में से सहहिस्सेदार

जिला कलक्टर
फलौदी

ओमप्रकाश बिस्वा व गवरादेवी द्वारा अप्रार्थी सुरेश कुमार बिस्सा के पक्ष में दिनांक 23.10.2024 को जरिये विक्रय विलेख निष्पादित किया जिससे साफ जाहिर है कि पट्टा संख्या 587/2024–25 , पट्टा ए/809 जारी दिनांक 16 मार्च 1925 प्रभाव में है। जिसका बंटवाडा नहीं हो रखा है। पूर्व में पटटाशुदा भूखण्ड की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी किया जाना क्षेत्राधिकार से परे है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा RLW 2010(4) प्रयागचन्द बनाम राजस्थान सरकार पेज 3575 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

10. निगरानीकर्ता ने निगरानी का यह आधार प्रस्तुत किया कि दिनांक 05.05.2021 को स्थल निरीक्षण के लिये वार्ड पंचो की कमेटी गठित की गई। कमेटी द्वारा स्थल निरीक्षण में यह उल्लेख नहीं किया गया कि पुश्तैनी भवन निर्माण कितने भाग पर किया हुवा है और कितने भूखण्ड का हिस्सा खाली है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचो द्वारा जांच प्रतिवेदन में मात्र यह उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी एवं इनके पूर्वजों का उक्त आवासीय पर विगत 50 वर्षो से कब्जा है। निर्माण एवं पुराने गृह का भूखण्ड पर होना उल्लेख नहीं किया गया है।

11. निगरानीकर्ता ने निगरानी का एक आधार यह भी प्रस्तुत किया है कि दिनांक 20.08.2021 को नियम 148(1) प्रपत्र 22 में आपत्ति आमंत्रित करने के लिये तय की है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.08.2021 को नोटिस जारी करना बताया है एवं ग्राम पंचायत द्वारा मिसल के अनुसार दिनांक 05.09.2021 को आपत्ति नहीं आने के आधार पर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन यह पाया गया कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.08.2021 को सचिव ग्राम पंचायत लोर्डिया को आपत्ति आमंत्रण नोटिस एक माह की अवधि के लिए जारी आदेश दिया गया। दिनांक 05.09.2021 को आयोजित बैक में मिसल संख्या 01/2021 को किसी प्रकार का अजर ऐतराज प्राप्त नहीं होने पर प्रस्ताव संख्या 01 द्वारा अन्तिम निर्णय पट्टा जारी करने का किया गया। जो अवधि पूर्व किया जाना प्रकट होता है।

12. निगरानीकर्ता ने निगरानी का यह भी आधार प्रस्तुत किया है कि पट्टा विधि विरूद्व तरीके से पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर नियम 157(1) राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत आवासीय भूमि का पट्टा जारी हुवा है जबकि उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री में अप्रार्थी ने दिनांक 23.10.2024 को करवाते वक्त भूखण्ड खाली बताया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी द्वारा रजिस्ट्री दस्तावेज के अवलोकन से प्रकट होता है कि विक्रेता ओमप्रकाश बिस्सा एवं गवरादेवी पत्नि आनन्दीलाल पुरोहित से अप्रार्थी सुरेश बिस्सा ने जरिये विक्रय विलेख दिनांक 23.10.2024को विक्रेता के पूर्वजों देईदान शिवकरण मोतीलाल कौम पुष्करण बिरामण बिस्सा सा. लोर्डिया के नाम का अविभाजित पट्टा में विक्रेता का विरासत में प्राप्त 2/9 हिस्सा के अविभाजित आवासीय भूखण्ड खरीद किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह आधार अस्वीकार योग्य है। इस सम्बन्ध में न्यायालय का अभिमत है कि राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत पंचायतीराज के निर्णय आदेश या कार्यवाहीं के सम्बन्ध में उसके सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य पारित किये जाने का अधिकार राज्य सरकार को है। राज्य सरकार की उक्त शक्तियां जिला कलक्टर को प्रत्यायोजित की गई है।

जिला कलक्टर
फलौदी

13. उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस एवं दौराने बहस प्रस्तुत दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव ग्राम विकास अधिकारी लोर्डिया के द्वारा पट्टा के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तर्को पर विचार मनन किया गया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं न्यायिक दृष्टान्त, पत्रावली के अवलोकन व मनन से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 33 , बृक संख्या 70 दिनांक 25.11.2025 को जारी अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 की विधि एवं नियमों की पालना नहीं की है। ग्राम पंचायत द्वारा गठित पंचों द्वारा जांच प्रतिवेदन में केवल पंचगण के ही हस्ताक्षर अंकित है। जांच प्रतिवेदन पर मौजिज व्यक्ति के हस्ताक्षर का न होना विधि अनुकूल प्रकट नहीं होता है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 148(1)) प्रपत्र 22 में आपत्ति आमंत्रित करने के लिये तय की है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.08.2021 को नोटिस जारी करना बताया है एवं ग्राम पंचायत द्वारा मिसल के अनुसार दिनांक 05.09. 2021 को आपत्ति नहीं आने के आधार पर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया है, जो कि अवधि पूर्व कार्यवाही करना प्रकट होता है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 23.10.2024 को उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री करवाते वक्त भूखण्ड को खाली बताया हैं जिससे प्रकट होता है कि पूर्व में जारी पट्टा सूद भूखण्ड खाली था। विवादित पट्टा एवं भूमि विक्रय विलेख बाबत ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही नियमित, औचित्यपूर्ण व विधिक नहीं मानी जा सकती है। ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में ग्राम पंचायत लोर्डिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 33 बुक संख्या 70 दिनांक 25.11. 2021 को निरस्त किया जाता है। विकास अधिकारी फलौदी आदेशित किया जाता है कि पट्टे की निरस्त सम्बधित की गई कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावें। ग्राम पंचायत से प्राप्त रिकार्ड को प्रतिप्रेषित किया जावे।

14. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

15. निर्णय आज दिनांक 23/12/2025 सरेइजलास सुनाया गया।

श्वेता चौहान
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर, फलौदी

जिला कलक्टर
फलौदी